अनुदान संख्या 60 – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GRANT No. 60 - DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	7890,15,00	7890,16,00	7179,89,14	-710,26,86
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				628,40,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00*	..	*-1,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	414,46,00	414,48,00	318,03,07	-96,44,93
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				71,99,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	9883.00	8428.00	8056.81	-371.19
पु.	R.	-1455.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	43846.00	1054.27	..	-1054.27
पु.	R.	-42791.73			
मुख्य शीर्ष "2701" मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Medium Irrigation				
मू.	O.	287427.00	287128.91	283619.73	-3509.18
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-299.09			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	31481.00	32558.00	31046.25	-1511.75
पु.	R.	1077.00			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	15619.00	18993.22	18367.58	-625.64
पु.	R.	3374.22			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	198560.00	156804.00	156078.42	-725.58
पु.	R.	-41756.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	194254.00	209659.10	209501.78	-157.32
पु.	R.	15405.10			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	2020.00	5020.00	4895.27	-124.73
पु.	R.	3000.00			

टीका और टिप्पणियां

(I) ₹53151.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹52666.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गयाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "खाद्य नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹10500.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग

Notes and comments

1. Provision of ₹53151.00 lakhs remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹52666.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - ₹10500.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on

कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से पुनर्विनियोग निधियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹1800.00 लाख;

(ग) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) – अन्य व्यय" –

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹1200.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईं योजना (हर खेत को पानी)" – ₹20500.00 लाख;

(iii) "मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण" – ₹1666.00 लाख;

(iv) "खाद्य प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹3000.00 लाख;

(घ) "सामान्य – अनुसंधान – राष्ट्रीय जल–विज्ञान परियोजना" – ₹700.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – खाद्य प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹4000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं / स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों / निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की सुरक्षा और

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-finalization of balance re-appropriation of funds owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Plan" - ₹1800.00 lakhs;

(c) "General (Medium Irrigation) - Other Expenditures" -

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹1200.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Her Khet Ko Pani)" - ₹20500.00 lakhs;

(iii) "Human Resource Development/ Capacity Building" - ₹1666.00 lakhs;

(iv) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹3000.00 lakhs;

(d) "General - Research - National Hydrology Project" - ₹700.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Area Programme" - ₹4000.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3435" - "Prevention and

नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की सुरक्षा – रिवर फ्रंटों के सौन्दर्याकरण के लिए घाट निर्माण कार्य" – ₹5000.00 लाख; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹4300.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" के अंतर्गत ₹1224.45 लाख की बचत (₹7863.64 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किशनगंगा एचई परियोजनाएं के लिए कम परामर्शदाताओं को रखे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – केन्द्रीय जल आयोग" – ₹633.71 लाख की बचत (₹5309.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "डाटा संग्रहण – केन्द्रीय जल आयोग" – ₹1442.07 लाख की बचत (₹14423.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "अनुसंधान – केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन" – ₹653.21 लाख की बचत (₹8612.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "बाँध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम

Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - Ghat Works for beautification of River fronts" - ₹5000.00 lakhs; and

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Plan" - ₹4300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" - saving of ₹1224.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7863.64 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and hiring of less consultants for Kishenganga HE Projects.

(III) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Central Water Commission" - saving of ₹633.71 lakhs (against the sanctioned provision ₹5309.50 lakhs);

(B) "Data Collection - Central Water Commission"- saving of ₹1442.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14423.00 lakhs); and

(C) "Research - Central Water and Power Research Station" - saving of ₹653.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8612.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Dam Rehabilitation and Improvement

(डीआरआईपी)" – ₹1524.86 लाख की बचत (₹3802.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों, पेशेवर सेवाओं संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

Programme (DRIP)" - saving of ₹1524.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3802.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards Conferences/Meetings/ Seminars, professional services and less tours undertaken.

(ख) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹1682.76 लाख की बचत (₹2766.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Human Resource Development/Capacity Building" - saving of ₹1682.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2766.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity.

(ग) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹1070.50 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9417.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(c) "River Basin Management" - saving of ₹1070.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9417.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in November, 2019) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds by the implementing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष "2702" – "भूजल – अन्वेषण – भू जल प्रबंधन तथा विनियमन" – ₹710.80 लाख की बचत (₹7547.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से अधिकारियों द्वारा बिलों की प्रस्तुति न होने कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹710.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7547.00 lakhs) was due to less tours undertaken, non-submission of bills by officials owing to Covid-19 pandemic and lockdown.

(V) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय" बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(V) Under Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय जल आयोग" – ₹1120.31 लाख की बचत (₹10426.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Central Water Commission" - saving of ₹1120.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10426.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2466.84 लाख की बचत (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यों के रखरखाव

(B) "Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹2466.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs) was due to

संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹2363.41 लाख की बचत (₹122760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "राष्ट्रीय गंगा योजना" – ₹34660.00 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पिछले वर्ष कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुईं।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1313.75 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 57 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹712.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य – अन्य व्यय – पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से प्राप्त ऋण" के अंतर्गत नवंबर, 2019 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹529.55 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं थीं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन एवं प्रशासन – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹633.58 लाख का

non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards maintenance of works and non-materialization of envisaged activities.

(VI) Under Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers" - savings occurred under the following heads:

(A) "National River Conservation Plan" - saving of ₹2363.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹122760.00 lakhs); and

(B) "National Ganga Plan" - saving of ₹34660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(VII) Under four heads savings of ₹1313.75 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs constituting 10 percent to 57 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹712.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2019 under Major Head "2701" - "General - Other Expenditure - Servicing of loans from NABARD under PMKSY". Actual excess, however, was ₹529.55 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Direction & Administration - Human Resource Development/Capacity Building"

अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- excess of ₹633.58 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "अन्य व्यय – जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹3855.75 लाख का अधिक व्यय (₹6705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्टेशन के लिए सपोर्ट सर्विसेज, पर्यवेक्षी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग और प्रयोगशाला सहायक को रखे जाने से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Development of Water Resources Information System" - excess of ₹3855.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6705.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards hiring of support services and outsourcing of supervisory staff and lab Assistant for Hydrological Observation Stations.

(खा) मुख्य शीर्ष "2702" – "भूजल अन्वेषण – केन्द्रीय भूजल बोर्ड" – ₹609.61 लाख का अधिक व्यय (₹22940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation - Central Ground Water Board" - excess of ₹609.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22940.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries.

(गा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹6493.88 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - excess of ₹6493.88 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹18805.04 लाख का अधिक व्यय (₹70314.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्यों को जारी राशि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण हुई।

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - excess of ₹18805.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70314.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet the committed releases to States for approved projects.

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2875.27 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को जारी निधि संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(E) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Flood Management and Border Areas Programme" - excess of ₹2875.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of funds to the UT of Jammu and Kashmir.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹394.71 लाख का अधिक व्यय जो स्वीकृत प्रावधान का 19736 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head excess of ₹394.71 lakhs occurred constituting 19736 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹1.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹ 1.00 lakh* remained wholly unutilized under one head.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4701" मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4701" Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	9372.00			
पू.	S.	1.00	7592.00	5641.52	-1950.48
पु.	R.	-1781.00			
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	21515.00			
पू.	S.	1.00	19667.00	19377.80	-289.20
पु.	R.	-1849.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	2840.00	1980.00	1775.98	-204.02
पु.	R.	-860.00			
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	7500.00	5010.00	5007.77	-2.23
पु.	R.	-2490.00			

(I) ₹239.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य – अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "ऊपरी यमुना नदी बोर्ड" – ₹697.95 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय निर्माण संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "बाँध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)" – ₹3250.81 लाख की बचत (₹5134.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और मशीनरी और उपकरणों की खरीद में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4702" – "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – भूजल प्रबंधन और विनियमन" – ₹1451.59 लाख की बचत

(I) Provision of ₹239.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.

(II) Under Major Head "4701" - "General - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Upper Yamuna River Board" - saving of ₹697.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of office.

(B) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹3250.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5134.50 lakhs) was due to delay in finalization of tenders and delay in procurement of machinery and equipments.

(III) Under Major Head "4702" - "Tribal Area Sub-Plan - Ground Water Management and

(₹1547.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में कम मांग होने के कारण हुई।

Regulation" - saving of ₹1451.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1547.00 lakhs) was due to less demand in the scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "4711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – अवसंरचना विकास" – ₹942.61 लाख की बचत (₹2660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) Under Major Head "4711" - "Flood Control - Other Expenditure - Infrastructure Development" - saving of ₹942.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2660.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "5075" – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज" – ₹2492.23 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(V) Under Major Head "5075" - "River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage" - saving of ₹2492.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत धीमी गति से कार्य होने के कारण हुईं।

Saving under the above two heads were due to slow pace of work.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹251.03 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

(VI) Under one head saving of ₹251.03 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹894.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य – अन्य व्यय – जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹390.74 लाख था।

5. The above savings were partly (₹894.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head "4701" - "General - Other Expenditure - Development of Water Resources Information System". Actual excess, however, was ₹390.74 lakhs.